न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 152/2018 **दायरा दिनांक : 26.11.2018**

उनवान

नाथू लाल आत्मज मोती लाल, जाति गूर्जर, निवासी चन्द्रलोई, आयु 90 साल, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री संदीप सक्सैना नायब तहसीलदार रेस्पोडेंट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.05.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ जिससे वाद संख्या – 374/2012 वास्ते 88, 91 वाद खारिज किया गया।

निर्णय **दिनांक : 13.02.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 ग्राम चन्दलोई की आराजी खसरा नम्बर 211–441=469–218 की 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म चारागाह की जमीन पर वादी के पुत्र देवी सिंह आत्मज नाथू लाल, जाति गूर्जर, निवासी चन्दलोई को तहसीलदार झालरापाटन ने अपने निर्णय दिनांक 15.09.2011 प्रकरण संख्या 1535/2011 में सहायाब किया गया जिसकी अपील वादी के पुत्र ने नियमानुसार पेश कर दी है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3 खसरा नम्बर 196 चरनोट की जमीन साईज 15 X 10 = 150 वर्ग गज का पट्टा तहसीलदार भू अभिलेखगार झालावाड ने प्लाट नम्बर 6 का पट्टा दिनांक 04.01.1975 में जारी हुआ जिसकी नकल साथ में सलंग्न है। यह पट्टा भेरू लाल को जारी किया।

4 खसरा नम्बर 196 चरनोट की जमीन साईज 15 X 10 = 150 वर्ग गज का पट्टा तहसीलदार भू अभिलेखागार झालावाड ने प्लाट संख्या 07 का पट्टा दिनांक 20.01.1975 को जारी हुआ जिसकी नकल सलंग्न है यह पट्टा मोतीलाल को जारी किया।

5 साबिक खसरा नम्बर 196 चरनोट की जमीन पर 15 X 10 = 150 वर्ग गज भूमि मकान के लिए पट्टा दिया व साबिक खसरा नम्बर 196 के हाल खसरा नम्बर 211 बने जिस पर तहसीलदार ट्रेस पासर बता रही है मकान हेतु पत्थर डाल रखे है। बरसाती की टापरियां बना रखी हैं। उक्त जमीन पर 3 पट्टे जारी करे थे जिसमें एक मोतीलाल, भेरू लाल, उदा को जारी कर रखे हैं।

6 वादी उक्त आराजी पर वर्ष 1975 से लगातार काबिज हैं एवं उसका कब्जा चला आ रहा है एवं कब्जे के आधार पर वो पट्टे के रूप में मालिक चला आ रहा है एवं उक्त आराजी को अपने नाम पर नियमन करवाना चाहता है।

7 वादी काफी वृद्ध है एवं उसका कब्जा बदस्तूर एवं कब्जे के आधार पर मालिक व स्वामी है एवं उक्त आराजी को खाते के आधार पर सिद्ध करते हुए उक्त आराजी का पट्टे के आधार पर मालिक होकर उक्त आराजी को नियमन करवाने का पूर्ण अधिकारी है।

8 वाद का कारण दिनांक 15.02.2012 को उस वक्त हुआ जब पुलिस का सिपाही मेरे पुत्र देवीसिंह के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही हुई जब जाकर पता चला, इस कारण वाद का कारण उत्पन्न हुआ है।

9 अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बर 211 के साबिक खसरा नम्बरान की 1 बीघा 5 बिस्वा पर भूमि आबादी में होकर पट्टे जारी हुए हैं उसको नियमानुसार वादी के पक्ष में नियमित की जावे व उनका कब्जा रखा जावे। इस आशय की डिक्री पारित की जावे एवं कब्जे के आधार पर दावा डिक्री किया जावे।

10 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

11 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पिपलोद में पेश हुई। वादी एवं पैरोकार

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित। पत्रावली में मजमेआम वादी एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार झालरापाटन को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के हक में जारी पट्टा आवासी मकान हेतु सन् 1975 में तहसीलदार झालरापाटन द्वारा जारी किया गया है जिसमें पट्टे की शर्त संख्या 5 के अनुसार पट्टे की भूमि आवासी प्रयोजनार्थ ली जानी थी जो नहीं ली गई तथा शर्त सं. 8 के अनुसार यदि भू खण्ड धारी दो वर्ष की अवधि में भू खण्ड में मकान/झोपडा बनाना आवश्यक था 2 वर्ष के अन्दर अगर आवंटी द्वारा मकान नहीं बनाया जाता है तो राज्य सरकार को पट्टा वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्नगत आराजी चारागाह किस्म है जिस पर वादी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, जो बेदखल किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा 91 एल आर एक्ट के तहत अतिक्रमी मानते हुए कार्यवाही की जा रही है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। वादी को नियमानुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

12 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

13 मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है जिस कारण अपास्त होने योग्य है।

14 मातहत न्यायालय का निर्णय मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस हैं जो कि अपास्त होने योग्य है।

15 मातहत न्यायालय ने दिनांक 30.05.2018 को कोई निर्णय नहीं दिया यह निर्णय बाद को पिछली तारीख में दिया गया है, इस निर्णय में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे कोई तारीख दर्ज नहीं है जिस कारण निर्णय अपास्त होने योग्य है।

16 पीठासीन अधिकारी ने बोला था कि अपीलांट के दावे का निर्णय अदालत में ही आगामी पेशी दिनांक 31.07.2018 को करेंगे किन्तु बाद को इन्होंने निर्णय विधि विरूद्ध किया, जो कि अपास्त होने योग्य है।

17 निर्णय का ज्ञान सबसे पहले अपीलांट को उसके वकील साहब द्वारा कहने से दिनांक 31.07.2018 को हुआ। अपीलांट ने दिनांक 03.08.2018 को निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो दिनांक 06.08.2018 को प्राप्त हुई उसके बाद अपीलांट की

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तबीयत खराब हो गई और वह आज कुछ स्वस्थ्य होने पर न्यायालय में आकर यह अपील पेश कर रहा है। अपील को अन्दर मियाद समाअत फरमाये जाने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश दर्ज है।

18 अतः अपीलांट अपील पेश कर निवेदन करता है कि मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे एवं वाद को कानून सम्मत तहकीकात कर कानून सम्मत निर्णय बाबत रिमाण्ड फरमाया जावे।

19 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.07.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

20 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

21 पैरोकार ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि–

22 प्रस्तुत वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध दायर किया गया है।

23 वादी के पिता मोतीलाल को ग्राम चन्द्रलोई, तहसील झालरापाटन के साबिक खसरा नम्बर 196 किस्म चारागाह, तहसीलदार झालरापाटन द्वारा दिनांक 20.01.1975 को आवासी उपयोग हेतु पट्टा दिया था।

24 साबिक खसरा नम्बर 196 के कई खसरे बने हैं, जिनमें खसरा नम्बर 211 व 218 भी है।

25 वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 211/441 के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया है।

26 खसरा नम्बर 211/441 पर कोई मकान वादी का नहीं है तथा वादी का अतिक्रमण नहीं है, खसरा नम्बर 211/441 रकबा 5.15 में 1.00 बीघा पर वादी के पुत्र देवीसिंह आत्मज नाथूलाल गुर्जर का

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कब्जा है, जिसमें मुताबिक नकल पी–14 सम्वत् 2068 के अनुसार धनिया एवं गेहूं की फसल बोई गई है।

27 विशेष कथन –

28 यह कि वादी के पिता को दिनांक 20.01.1975 को ग्राम चन्द्रलोई के साबिक खसरा नम्बर 196 में तहसीलदार झालरापाटन द्वारा भूखण्ड संख्या 07 का 15 X 10 = 150 वर्गफुट का पट्टा आवासी उपयोग हेतु दिया गया था।

29 पट्टे की शर्त संख्या 05 के अनुसार भूमि को आवासी उपयोग के लिए लिया जाना था।

30 शर्त संख्या 08 के अनुसार भूखण्ड पर 2 वर्ष के अन्दर मकान/झोपड़ा बनाया जाना था, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार को पट्टे को निरस्त करने का अधिकार था।

31 पट्टाधारक मोतीलाल द्वारा उक्त शर्तों की पालना नहीं करने के कारण भूखण्ड स्वतः ही निरस्त है।

32 ग्राम चन्द्रलोई की खसरा नम्बर 211/441 किस्म चारागाह पर देवीसिंह आत्मज नाथू गुर्जर द्वारा फसल बोकर अतिक्रमण किया हुआ है।

33 वादी द्वारा अतिक्रमित चारागाह भूमि का नियमन करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

34 चारागाह भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, इस पर किये गये अतिक्रमण का नियमन नहीं किया जा सकता। अतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

35 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

36 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

37 वादी के पिता मोतीलाल को ग्राम चन्द्रलोई, तहसील झालरापाटन के साबिक खसरा नम्बर 196 किस्म चारागाह, तहसीलदार झालरापाटन द्वारा दिनांक 20.01.1975 को आवासी उपयोग हेतु पट्टा दिया था।

38 साबिक खसरा नम्बर 196 के कई खसरे बने हैं, जिनमें खसरा नम्बर 211 व 218 भी है।

39 वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 211/441 के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया है।

40 खसरा नम्बर 211/441 पर कोई मकान वादी का नहीं है तथा वादी का अतिक्रमण नहीं है, खसरा नम्बर 211/441 रकबा 5.15 में 1.00 बीघा पर वादी के पुत्र देवीसिंह आत्मज नाथूलाल गुर्जर का कब्जा है, जिसमें मुताबिक नकल पी–14 सम्वत् 2068 के अनुसार धनिया एवं गेहूं की फसल बोई गई है।

41 यह कि वादी के पिता को दिनांक 20.01.1975 को ग्राम चन्द्रलोई के साबिक खसरा नम्बर 196 में तहसीलदार झालरापाटन द्वारा भूखण्ड संख्या 07 का 15 X 10 = 150 वर्गफुट का पट्टा आवासी उपयोग हेतु दिया गया था।

42 पट्टे की शर्त संख्या 05 के अनुसार भूमि को आवासी उपयोग के लिए लिया जाना था।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

43 शर्त संख्या 08 के अनुसार भूखण्ड पर 2 वर्ष के अन्दर मकान/झोपड़ा बनाया जाना था, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार को पट्टे को निरस्त करने का अधिकार था।

44 पट्टाधारक मोतीलाल द्वारा उक्त शर्तों की पालना नहीं करने के कारण भूखण्ड स्वतः ही निरस्त है।

45 ग्राम चन्द्रलोई की खसरा नम्बर 211/441 किस्म चारागाह पर देवीसिंह आत्मज नाथू गुर्जर द्वारा फसल बोकर अतिक्रमण किया हुआ है।

46 वादी द्वारा अतिक्रमित चारागाह भूमि का नियमन करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

47 चारागाह भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, इस पर किये गये अतिक्रमण का नियमन नहीं किया जा सकता। अतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

48 इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह उचित है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

49 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

50 निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा